रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622] नई दिल्ली, बुधवार, जून 14, 2006/ज्येष्ठ 24, 1928
No. 622] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 2006/JYAISTHA 24, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2006

सं. 11 (आर ई-2006)/2004-2009

का.आ. 909(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. पैरा 5.1 के उप पैराग्राफ "ई पी सी जी स्कीम के तहत पुराने पूँजीगत वस्तुओं, चाहे वे कितने भी पुराने हों, का आयात भी किया जा सकता है" के बाद पैरा 5.1 के उप पैराग्राफ को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

तथापि निम्नलिखित शर्तों के अधीन मोटर कारों, खेल- कूद के लिए उपयोगी वाहनों/सभी प्रयोजनों के लिए वाहनों के आयात की अनुमति केवल होटलों, ट्रेवल एजेन्टों, टूर आपरेटरों अथवा टूर ट्रांसपोर्ट आपरेटरों और गोल्फ रिजार्ट्स के मालिकों/संचालकों की कम्पनियों को दी जाएगी :—

(i) होटल, ट्रेवल और टूरिज्म और गोल्फ टूरिज्म क्षेत्रों से अर्जन और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में कुल विदेशी मुद्रा अर्जन 1.5 करोड़ रूपए या अधिक हो ।

(ii) मोटरकारों, खेलकूद के लिए उपयोगी वाहनों/सभी प्रयोजनों के वाहनों के आयात हेतु किसी लाइसेंसिंग वर्ष में जारी सभी ई पी सी जी प्राधिकार पत्रों पर "बचाई गई शुल्क" राशि पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में होटल, ट्रेवल और टूरिज्म और गोल्फ टूरिज्म क्षेत्रों से औसत विदेशी मुद्रा के 50 प्रतिशत से अधिक हो ।

(iii) इस स्कीम के तहत आयात किए गए वाहन या तो पर्यटक वाहन के तौर पर पंजीकृत हों अथवा एक राज्य विशेष में उस वाहन का पर्यटक वाहन हेतु प्रयोग उचित पंजीकरण किया गया हो । वाहन के आयात और पूँजीगत माल को अधिष्ठापित करने की पुष्टि के लिए संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति देनी होगी ।

तथापि, मोटर कारों, खेल-कूद के लिए उपयोगी वाहनों/सभी प्रयोजनों के लिए वाहनों के पुर्जों जैसे चैसिस इत्यादि का ईपीसीजी स्कीम के तहत आयात नहीं किया जा सकेगा ।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

[फा. सं. 01/94/162/46/एएम 06/पी सी-1]

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2006

No. 11 (RE-2006)/2004—2009

S.O. 909(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009 as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments :—

1. The sub-paragraph of Para 5.1 after the sub- paragraph "Second hand capital goods without any restriction on age may also be imported under the EPCG Scheme" of Para 5.1 will be amended to read as follows :—

"However, import of motor cars, sports utility vehicles/all purpose vehicles shall be allowed only to hotels, travel agents, tour operators or tour transport operators and companies owning/operating golf resorts subject to the condition that :—

(i) the total foreign exchange earning from the hotel, travel & tourism and golf tourism sectors in the current and preceding three licensing years is Rs 1.5 crores or more.

(ii) the 'duty saved' amount on all EPCG Authorisations issued in a licensing year for import of motor cars, sports utility vehicles/all purpose vehicles shall not exceed 50% of the average foreign exchange earnings from the hotel, travel & tourism and golf tourism sectors in the preceding three licensing years.

(iii) the vehicles imported under this Scheme shall be registered either as a tourist vehicle or shall have an appropriate registration specific to a particular state enabling the vehicle to be used for tourist purpose. A copy of the Registration certificate should be submitted to the concerned Licensing Authority as a confirmation of the vehicle having been imported and capital goods installed.

However, the parts of motor cars, sports utility vehicles/all purpose vehicles such as chassis etc. cannot be imported under the EPCG Scheme."

This issues in public interest.

[F. No. 01/94/162/46/AM06/PC-1]

K.T. CHACKO, Director General of Foreign Trade & ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.